न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 14/2018

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री घीसा
2. साधुराम पुत्र श्री घीसा
   समस्त जाति जाट निवासी कोड्यावाली ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सजना देवी पत्नि स्व0 श्री मोहनलाल
2. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल
3. सुदामा पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल
4. गणेश पुत्र स्व0 कानाराम
5. मीरा पत्नि गणेश
   समस्त जाति जाट निवासी कोड्यावाली ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 07.12.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मोरीजा बी, पटवार हल्का मोरीजा बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादीगण व उनकी माता बरजी देवी की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 4232 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 4237 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 4247 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 4373 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो इस वाद में विवादित भूमि है। जिसे आगे के मदो में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

विवादित भूमि में वादीगण अन्य सहखातेदारों के साथ मौके पर अपने अपने हिस्से अनुरूप काश्त कर उपयोग उपभेग में लेकर समस्त लाभ प्राप्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 वादीगण के पडौसी सींव जोड खातेदार काश्तकार है। जो आये दिन वादीगण के खेत की मेढ (बाधा) को तोडकर अपने खेत में मिलाकर वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने पर उतारू रहते है एवं वादीगण को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है तथा वादीगण की भूमि की सीमाओं के साथ छेडछाड करते रहते है।

प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 5 दिनांक 25.01.2017 को वादीगण की गैर मौजूदगी में वादीगण की सींवडोल को तोडकर स्वयं की भूमि में मिलाने का प्रयास करने लगे, वादीगण की भूमि की उत्तरी ओर की सीमाओं को तोडफोड करने लगे जिस पर वादीगण के अन्य सहखातेदारों द्वारा वादीगण को सूचित करने पर वादीगण ने मौके पर जाकर प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कृत्य बाबत् उसे [illegible] तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकी दी गई कि हम शीघ्र ही मौका मिलते [illegible] सींव डोल को क्षतिग्रस्त कर भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे तथा [illegible] भूमि [illegible] लेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण इस कदर डिक्री फरमाया [illegible] कि:–

(क) प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वादीगण की भूमि विवादग्रस्त के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नहीं करें, तथा ना हीं भूमि में बा–जोत करने, सिंचाई करनें में किसी प्रकार से दखलन्दाजी व मजाहमत कारित करें, ना हीं अनाधिकृत रूप से भूमि में प्रवेश कर

कब्जा करने की कुचेष्ठा करें, ना हीं सीमाओं के साथ तोडफोड नहीं करें, हरे पैड़ों को नहीं काटे, ना हीं हरे पैडों को छांगे, वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट मोरीजा में पेश हुई। वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4 स्वयं उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार वाद पत्र बावत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4232 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 4237 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 4247 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 4373 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोरीजा बी, पटवार हल्का मोरीजा बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन (I.A.S)

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री घीसा
2. साधुराम पुत्र श्री घीसा
   समस्त जाति जाट निवासी कोड़्यावाली ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सजना देवी पत्नि स्व0 श्री मोहनलाल
2. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल
3. सुदामा पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल
4. गणेश पुत्र स्व0 कानाराम
5. मीरा पत्नि गणेश
   समस्त जाति जाट निवासी कोड़्यावाली ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :–14 / 2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तथा तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4232 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 4237 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 4247 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 4373 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोरीजा बी, पटवार हल्का मोरीजा बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.12.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested